

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

06 / 2019

06.03.2019

रामलाल पुत्र छोगा जाति मीना निवासी चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार नगरफोर्ट जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट
दिनांक 22.02.2019 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री दुर्गालाल मीना, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 10.12.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 22.02.2019 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 439 रकबा 0.56 है० किस्म चरागाह वाके ग्राम चारनेट पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांट को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही अपीलांट का तथाकथित आराजीयात पर कोई अतिक्रमण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गई है, जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है, उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं किये हैं। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की, उक्त तारीख का

वार्तांकित जिला ०७१८-
टोंक



अंकन भी रिपोर्ट में अंकित नहीं है। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में उक्त ख0नं0 पर किसी प्रकार का अब अतिक्रमण नहीं माना है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी पर मेने अतिचार नहीं किया है। यदि पूर्व में मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण हो तो भी उसे हटा लूंगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 214-216 उद्धरित किये हैं।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 439 रकबा 0.56 है0 किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम चारनेट तहसील दूनी पर बाड लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 777 निर्णय दिनांक 30.11.2018 से बेदखल किया गया है। नायब तहसीलदार नगरफोर्ट ने पत्र क्रमांक 83 दिनांक 04.09.2019 से अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी पर मेने अतिचार नहीं किया है। यदि पूर्व में मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण हो तो भी उसे हटा लूंगा। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत धारा 91 कि रिपोर्ट व दिनांक 27.08.2019 की मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट का पूर्व में कब्जा माना है, जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 214-216 उद्धरित किये हैं जो प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



854

के.टी.
(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दुर्ग

